न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील नामा0संख्या 07/19 सन् 2019

आरसीएमएस संख्या 2019/00036

बउनवानीः—

1. मीठालाल पुत्र हजारी जाति मीना निवासी मुई तह0 व जिला सवाईमाधापुर
2. बाबूलाल पुत्र रामप्रसाद मीना निवासी मुई तह0 व जिला सवाईमाधापुर
3. सीमा पुत्री रामप्रसाद जाति मीना निवासी मुई तह0 व जिला सवाईमाधापुर
4. निरमा पुत्री रामप्रसाद जाति मीना निवासी मुई तह0 व जिला सवाईमाधापुर
5. समोदरा पत्नि रामप्रसाद मीना निवासी मुई तह0 व जिला सवाईमाधापुर

बनाम

1. सरकार जरिये लेण्ड होल्डर तहसीलदार सवाईमाधोपुर
2. अधिशाषी अभियंता, सिंचाई विभाग, सवाईमाधोपुर

(अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 756 निर्णय दिनांक 24.6.1987 वाके ग्राम मुई तहसील सवाईमाधोपुर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थितः— 1. श्री जगदीश प्रसाद शर्मा — वकील अपीलान्ट

2. श्री महावीर चौधरी — पैरोकार राजस्व

—: निर्णय :— दिनांक 31.07.2019

अपील अपीलान्ट ने तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल,नामा0 संख्या 756 निर्णय दिनांक 24.6.1987 वाके ग्राम मुई तहसील सवाईमाधोपुर के विरूद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध है जिसको खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा मे दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. की तलबी जरिये नोटिस की गयी एवं अदालत मातहत से सम्बन्धित मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया।

तत्पश्चात बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है क्योकि विवादि नामा0संख्या 756 तस्दीक करते समय तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट के पिता मृतक हजारी को किसी तरह का कोई नोटिस नही दिया गया एवं विवादग्रस्त भूमि का मुआवजा भी नही दिया गया है तथा विवादित नामा0 से संबंधित आराजीयात ख0न0 964 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा पर अपीलान्टगण का अपने पिता के जीवनकाल से लेकर आज तक भौतिक कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा ख0न0 964 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा की भूमि तालाब के भराव क्षेत्र मे नही आती है कथन के समर्थन में 11 व्यक्तियों के शपथ पत्र पेश किये गये। यह तर्क भी दिया कि विवादित नामा0 के कॉलम संख्या 14 मे अवाप्ति आदेश का हवाला दर्ज है लेकिन किसी भी किस्म के आदेश का इन्द्राज नही है। पटवारी हल्का ने मात्र कॉलम नम्बर 16 में यह इन्द्राज किया है कि श्रीमान जी सिंचाई विभाग के हक में नामा0 दर्ज कर वास्ते तस्दीक हेतु पेश करने पर आई.एल.आर. द्वारा दिनांक 24.6.1987 को तुलना की गयी एवं तहसीलदार ने किस दिनांक को नामा0 तस्दीक किया है इन्द्राज नही होने के कारण भी आदेश जैर अपील निरस्त किये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि विवादग्रस्त नामा0 की अपीलान्ट को सर्वप्रथम जानकारी उक्त नामा0 से संबंधित आराजीयात को सड़क निर्माण हेतु अवाप्त करने के लिए जारी विज्ञप्ति की

डॉ० एस. पी. सिंह
जिला कलेक्टर

अधिसूचना के अनुसार खेत में मुडडी गाडने पर प्राप्त हुई है। इस पर अपीलान्ट द्वारा भूमि अवाप्ति अधिकारी के यहॉ आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश किया एवं विवादग्रस्त नामा0 की नकल दिनांक 24.12.2018 को प्राप्त होने पर अपील अन्दर मयाद मय दफा 5 के प्रार्थना पत्र के पेश की गयी है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर आदेश जैर अपील खारिज किये जाने बाबत वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान पैरोकार राजस्व द्वारा दौराने बहस कथन किया कि बांध मुई के निर्माण हेतु राजस्थान भूमि अवाप्ति अधिनियम 1953 के तहत ग्राम मुई के डूब क्षेत्र में आने वाली कुल 991 बीघा 12 बिस्वा भूमि तथा उक्त बांध की नहर हेतु ग्राम कुश्तला की 45 बीघा 18 बिस्वा, ग्राम गम्भीरा की 14 बीघा 01 बिस्वा व धमूण खुर्द की 6 बीघा 06 बिस्वा भूमि को भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर) सवाईमाधोपुर के आदेश क्रमांक 547–77 अवाप्ति/82 दिनांक 26.7.1982 से आवप्त की जाकर अवाप्त की गयी भूमि का संबधित खातेदारों तत्समय को नियमानुसार मुआवजा दिया गया था। अपीलान्ट की भी ख0न0 964 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा भूमि उक्त बांध में भराव क्षेत्र मे आन के कारण सिचांई विभाग के नाम अवाप्त की गयी थी जिसकी मुआवजा राशि 2860/–रू का भुगतान तत्समय अपीलान्ट के पिता श्री हजारी पुत्र रंगा मीना निवासी मुई को किया गया था। उक्त अवाप्ति आदेश दिनांक 26.7.1982 के आधार पर उक्त नामा0 संख्या 756 तस्दीक किया गया है जिसमे किसी प्रकार की त्रुटि नही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज कर आदेश जैर अपील यथावत रखे जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान वकील उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुनने के पश्चात एवं सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचता हूॅ, कि बांध मुई के निर्माण के समय अन्य खातेदारान के साथ–साथ खातेदार हजारी पुत्र रंगा मीना निवासी मुई की खातेदारी भूमि आराजी ख0न0 964 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा भी बांध के भराव व बहाव क्षेत्र में आने के कारण भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपजिला कलेक्टर) सवाईमाधोपुर के आदेश क्रमांक 547–77 अवाप्ति/82 दिनांक 26.7.1982 से तत्समय सिचांई विभाग के नाम आवप्त की जाकर अवाप्त की गयी 3 बीघा 05 बिस्वा भूमि की मुआवजा राशि 2860/–रू का भुगतान तत्समय अपीलान्ट के पिता हजारी पुत्र रंगा मीना को किया गया था। उक्त अवाप्ति आदेश के अनुसार उक्त भूमि सिचाई विभाग के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करने के लिए तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा नामा0 संख्या 756 दर्ज फैसल किया गया है। इस प्रकार विवादित नामा संख्या 756 दिनांक 24.6.1987 वाके ग्राम मुई में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर आदेश जैर अपील यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 31.7.2019 को लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ0एस0पी0सिंह)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Satya Pal Singh
Date: 2019.12.03 16:53:46 IST
Reason: SelfAttested
Location: